आयोजनेत्तर

संख्या- **1/**1941/18-4-2013-9-(2)-91

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश्,
कानपुर ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर,2013

विषय: सी0जी0सी0आर0आई0, खुर्जा को सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष की धनराशि की स्वीक़ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-99/कांच/26/उद्योग/2013-14, दिनांक 03-12-2013 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-589/18-4-2013-9(5)91, दिनांक 30.05.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सी0जी0सी0आर0आई0, खुर्जा को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,000/- (रू0 बीस लाख मात्र) के सापे अवशेष धनराशि रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए उसे आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

2. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृति योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/ अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

5-योजनान्तर्गत स्वीकृत पूर्ण धनराशि का मदवार व्यय विवरण वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर दिनांक 15.03.2014 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

6- योजनान्तर्गत स्वीकृति सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के उपरान्त दिनांक 15.03.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के लेखा शीर्षक -'2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-102-लघु उद्योग-03-सी0जी0सी0आर0आई0, खुर्जा को सहायता-27-सब्सिडी' के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 में प्रदत्त अधिकारो के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0ए0सिंह)
अनुसचिव।

संख्या-1941(1)/18-4-2013-9-(2)-91, तद्वदिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कानपुरा
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3
7. वित्त नियंत्रण, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0सिंह)
अनुसचिव ।